500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.   Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये   FIVE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507322

- 7 DEC 2012

[1]

जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Trust Deed)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 05.12.2012 को जय प्रकाश सिंह पुत्र स्व. त्रिलोक सिंह निवासी 18/20 स्टेनली रोड, जजेज कालोनी, इलाहाबाद उ0प्र0 द्वारा निष्पादित किया गया ,जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक रू0 5100/– (रुपये पांच हजार एक सौ मात्र) की राशि सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय चैरिटेबुल न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और यह ट्रस्ट **"जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट"** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित हैं, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

और क्योकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5100/– (रू0 पॉच हजार एक सौ मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल–अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [2] 20AA 144046

और क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय 18/20 स्टेनली रोड़, जजेज कालोनी, इलाहाबाद (उ0प्र0) रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्टः

उद्देश्य एवं नियमावली

(A) ट्रस्ट के उद्देश्य :–

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा:–

1 पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्युटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रो, पर्यावरण, एड्स उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानो, संस्थानों स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत कराना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [3] 20AA 144047

2 विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

3 नागरिकों विशेष कर बालक, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।

4 विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास सुविधाओं आदि की व्यवस्था करना।

5 विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।

6 पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।

7 शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करना।

8 सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स उन्मूलन कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएँ, बैठक, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

9 समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [4] 20AA 144048

10 सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग, प्रिटिंग आदि की शिक्षा करना।

11 सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक, सी0टी0आई0, आई0टी0आई0, पुस्तकालय, फार्मेसी, फिजियोथीरेपी आदि संस्थानों की स्थापना करना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आवद्ध, लैब टेक्नीशियन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि करना।

12 व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित करना।

13 ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान करना।

14 विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

15 आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन एवं उसका प्रचार करना।

16 कृषि उपयोगी कार्य करना व उसका प्रचार प्रसार करना।

17 पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना, सुधार हेतु जानकारी देना एवं गोष्ठी आयोजित करना।

18 एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

19 पुस्तक, पुस्तिकाएँ, पत्र–पत्रिकाएँ समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रय करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [5] 20AA 144049

20 ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

21 पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाएं करना।

22 उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

23 धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार।

24 जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन तथा क्रियान्वयन।

25 विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।

26 विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, विधि महा-विद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (franchise) प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार(franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित, किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।

27 ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य मे प्रयोग करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [6] 20AA 144050

28 ट्रस्ट जन सामान्य के हित मे कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेंवाएँ/वस्तुएँ/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार।

29 ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा, एवं बंजर भूमि, खादी ग्रमोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।

30 ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

31 ट्रस्ट द्वारा ग्रमीण अभियन्त्रण सेवाओं को संचालन करना।

32 कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहायों एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना पिछड़े वर्गों, अनु0जातिया, अनु0जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत कि किसी भी हिस्से में (संघ शासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाएँ, महिला कल्याण योजनाएँ, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।

33 कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।

34 कृषकों को फूल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [7] 20AA 144051

35 कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करना।

36 कृषकों के उत्थान हेतु शीतगृह व कृषि गोदामो का निर्माण करना।

37 कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु जैविक खाद व वर्मीकल्चर खाद का शोध व निर्माण करना।

38 वैकल्पिक उर्जा (ताप, जल, सौर, वायु) संबंधित संयत्र लगाना।

(B) प्रारम्भिक उपबन्ध

1 वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से जय प्रकाश सिंह को न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of Deed) भी हैं, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है तथा श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोक सिंह, श्रीमती चन्दा सिंह पत्नी श्री जय प्रकाश सिंह, श्रीमती निधि सिंह पुत्री श्री जय प्रकाश सिंह, गौरव सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह, श्रीमती रिचा सिंह पत्नी श्री गौरव सिंह,, निवासीगण 18/20 स्टेनली रोड़, जजेज कालोनी, इलाहाबाद को ट्रस्टी सुनिशिचित किया जाता है।

2 यह ट्रस्ट डीड वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहॉ पंजीकृत कर सुनिशिचित कर दी जाय। जय प्रकाश सिंह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार अधिनियम एवं उपबंधो के अनुसार उनकी पत्नी तत्पश्चात पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र को, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जय प्रकाश सिंह की पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु, पौत्र, प्रपौत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तराधिकारी पुत्री हागी। यही

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 144052

क्रम चलता रहेगा। इनके उत्तराधिकारियों के अलावा कोई बाहरी (अतिसन्निकट का ही व्यक्ति क्यों न हो) किसी भी परिस्थिति में ट्रस्ट का ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कभी भी नही हो सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष या ट्रस्टी द्वारा कभी भी किसी बाहरी (उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त) व्यक्ति के नाम ट्रस्ट में सम्मिलित करने हेतु रजिस्ट्रार के यहाँ वसीयत या कोई भी पत्र रजिस्ट्रर्ड करा दिया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा। कभी भी ट्रस्टी की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। उत्तराधिकारी (पत्नी/पुत्र/पुत्रवधु) आजीवन ट्रस्टी रहेंगे।

उक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन, परिमार्जन, परिवर्धन किसी भी परिस्थिति में कभी नही किया जा सकता है।

3 वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को अन्तरित कर सकते है।

4 यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी अवयस्क है तो उनकी ओर से उनकी माँ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी का कार्य तब तक सभाँलेंगी, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।

(C) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण

1 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल मे अपने उत्तराधिकारी मैनेंजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [9] 20AA 144053

2 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल मे ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद अपने पुत्र व पौत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।

3 किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।

4 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6 यहाँ पर यह भी स्पष्ट है किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल मे अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर सकता है, जिस पर पुनर्विचार का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष में सुरक्षित रहेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [10] 20AA 144054

7 कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

(D) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज:

1 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम ग्यारह सदस्य होगें।

2 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक/सुधार पर्यन्त ही कार्य करेंगें।

3 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4 यह कि बोर्ड ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5 यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की

इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

6 **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार** : मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(E) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएँ:

1 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं से युक्त निवास कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा। मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [12] 20AA 144056

(F) कार्यक्षेत्र : ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा, वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(G) सचिव/उपसचिव की नियुक्तिः

1 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2 यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाऐं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3 यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक / विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(H) उपाध्यक्ष की नियुक्तिः

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [13] 20AA 144057

1 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सुविधाएँ कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक / अनुशासनात्मक/विधिक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियॉ कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

(I) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

यह कि इस डीड के अर्न्तगत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगे:–

1 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2 ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व ढ़ग से देख रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

3 इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(J) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

1 अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(K) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी है। ट्रस्टी के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है:

1 ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2 ट्रस्ट के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3 ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4 विभिन्न कार्य कलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतू कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं /उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [15] 20AA 144059

संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।

5 ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।

6 एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

7 प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8 जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(L) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।

3. सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(M) बैंक एकाउण्ट :

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [16] 20AA 144060

1. ट्रस्ट का खाता किसी अनुसूचित बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वय अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतः खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित होगा अथवा उनके निर्देश पर खाते का संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व सचिव संयुक्त रूप से करेंगे।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय / संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई के अध्यक्ष के रूप में बैंक खाता, खोला व संचालित किया जाएगा अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकेगा, जिसमें परिवर्तन का एकाधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

(N) विधिक कार्यवाही : यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है। न्यास सम्पत्ति व न्यास के संचालन व प्रबन्धन के बाबत न्यासियों के किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय मे वाद किसी भी परिस्थिति में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, यदि कोई विवाद न्यास व उसके संचालन प्रबन्धन के

बाबत उत्पन्न होता है तो पंचायत द्वारा निर्णय किया जाएगा। पंचों की नियुक्ति अथवा नामकरण न्यासियों व अध्यक्ष (ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष) द्वारा किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी सहायक न्यासी या सदस्य द्वारा किसी विवाद को न्यायालय में दाखिल किया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(O) **सम्पत्ति सम्बन्धी :**

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है, जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति का अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।

5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [18] 20AA 144062

6. ट्रस्ट, धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजित कर सकता है।

7. ट्रस्ट चल/अचल सत्पत्ति को प्रत्याभूति (Gurantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनुज्ञाप्ति (Licence), बन्धक (Mortgage), भारित (Charge) गिरवी (Pledge) विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है। यह सभी कार्य ट्रस्ट के आर्थिक व सामाजिक आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जायेगें।

(P) विशेषः

(क) इस ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय /कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम इत्यादि बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **"जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट"** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें तथा मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा बनायी गयी समिति, उप समिति को स्वेच्छानुसार भंग करके उनका अधिकार अपने में निहित किया जा सकेगा तथा विवेकानुसार समिति, उप समिति का गठन किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [19] 20AA 144063

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

(ग) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/व्यक्गित किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/मेडिकल कालेज/विधि महाविद्यालय/इंजीनियरिगं कालेज/पालिटेक्निक/आई0टी0आई0/सी0टी0आई0/पुस्तकालय/फार्मेसी/फिजियोथेरेपी आदि संस्थानों कार्यक्रमों/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन के लिए पृथक से नियम, उप नियम बनाया जाएगा व तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालय, बोर्ड, सरकारी/अर्द्ध सरकारी व मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/विभाग इत्यादि की आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति का गठन किया जाएगा जिसमें ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्ति ही सदस्य व पदाधिकारी होंगे। नामित व्यक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अथवा बाहर के सदस्य भी हो सकते हैं। समिति/उप समिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी करेंगे। इस निमित्त उन्हें विश्वविद्यालय/बोर्ड/विभाग के नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उप समिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक समझा जाएगा। इस प्रकार मैनेजिंग ट्रस्टी समिति/उप समिति का सदस्य (अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक) आजीवन पदेन होगा और समिति/उप समिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उप समिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक बनकर किया जाएगा और आर्थिक प्रकरणों पर सहमति/अनुमति एवं अनुमोदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(घ) समिति के दो निदेशक अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं, जो संस्था के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक वातावरण को बनाने में सहयोग करेंगे।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 144064

"जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट" की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित **"जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट"** की उद्देश्य एवं नियमावली, एतदद्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल कार्यान्वित की जाती है।

उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर एवं समझकर विधि सम्मत् व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

जय प्रकाश सिंह
अध्यक्ष
"जय प्रकाश चैरिटेबुल ट्रस्ट"
18 / 20 स्टेनली रोड, जजेज कालोनी
इलाहाबाद उ0प्र0

साक्षीगण:

1. नाम: राजेश कुमार
   पता हवेलिया झूसी इलाहाबाद
2. नाम: G. G. Tripathi Advocate
   पता Civil Court, Allahabad

हस्ताक्षर टाइपकर्ता Giridhar

हस्ताक्षर मसविदाकर्ता M. K. Singh Advocate

624 दिनांक 18-12-12 मूल्य 20/-

खरीदार (पिता व पता) उप प्रभाकर सिंह पुत्र स्व० [illegible] सिंह [illegible] रोड

नं० 133 अवधि 31 मार्च 2013 तक पुरुषोत्तम [illegible]

विक्रेता चौरासी [illegible] कचेहरी इलाहाबाद हस्ताक्षर

आज दिनांक **20/12/2012** को

वही सं **4** जिल्द सं **373**

पृष्ठ सं **369** से **408** पर क्रमांक **656**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप रजिस्ट्रार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

ज्ञानेन्द्र कुमार
उप निबन्धक (प्रथम)
इलाहाबाद
20/12/2012